

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.-भूप्रआ/समु/आरआर/11/2/1/2009-10/

जयपुर, दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
भरतपुर ।

विषय:-ग्राम दलीलपुर तहसील करोली की अधिसूचना भिजवाने बाबत

प्रसंग:-राजस्व ग्रुप-1 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.13(3)
राज-1/2016 दिनांक 31.5.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार ने ग्राम दलीलपुर तहसील करोली की भू-प्रबन्ध संकियाएँ प्रारम्भ की अधिसूचना धारा 106, 107 व 108 दिनांक 31.5.2017 प्रसारित की है जिसकी छाया प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

80

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति० भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/ससंख्यक/1445

दिनांक:- 14-6-17

प्रतिलिपि:-

1- प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय, जयपुर को एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

11/11/17
अति० भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर


राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 13(3)राज.1/2016

जयपुर, दिनांक 31 MAY 2017

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15) की धारा 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील करौली, जिला करौली के राजस्व ग्राम दलीलपुर का पुनः सर्वेक्षण कार्य इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से प्रारम्भ कर दिया जावेगा।



राज्यपाल की आज्ञा से,

३०

(एस.आर.पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, करौली।
3. आयुक्त, भू प्रबन्ध राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/1/09-10/3598 दिनांक 04.10.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञापित की प्रति इस विभाग एवं भू प्रबन्ध आयुक्त को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR
5/6/17


राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 13(3)राज.1/2016

जयपुर, दिनांक 31 MAY 2017

—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15) की धारा 107 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील करौली, जिला करौली के राजस्व ग्राम दलीलपुर के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से प्रारम्भ कर दिया जावेगा।



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, करौली।
3. आयुक्त, भू प्रबन्ध राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/1/09-10/3598 दिनांक 04.10.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञापित की प्रति इस विभाग एवं भू प्रबन्ध आयुक्त को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव


5/5/16

5/6/17

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 13(3)राज.1/2016

जयपुर, दिनांक 31 MAY 2017

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15) की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील करौली, जिला करौली के राजस्व ग्राम दलीलपुर के पुनः सर्वेक्षण एवं अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य किये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 106 व 107 की अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से तहसील करौली, जिला करौली के राजस्व ग्राम दलीलपुर के लिए स्थायी भू- अभिलेख अधिकारी नियुक्त नहीं होने के कारण निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु अपर भू- अभिलेख अधिकारी भू-प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर को प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।

RR
5/6/17

कार्यालय भू राजस्व विभाग राज., जयपुर पत्र-पत्रिका	राज्यपाल की आज्ञा से, 30
क्रमांक: 390 (एस.आर.पिलानिया)	संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, करौली।
3. आयुक्त, भू प्रबन्ध राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/1/09-10/3598 दिनांक 04.10.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञापित की प्रति इस विभाग एवं भू प्रबन्ध आयुक्त को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव